



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

### आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 08/2026/D-82

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 267047 दिनांक 14/11/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Change in Land Use (Residential to Commercial) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

| क्र.सं. | आवेदक का नाम                          | मूल आवंटी/लीजधारक का नाम         | भूखण्ड संख्या | भूखण्ड क्षेत्रफल  | गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना | योजना का नाम                                     | सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया                  | कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज   |
|---------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|--|--|--|--|
| 1       | Virendra Singh Sunda S/o Laxman Singh | श्री किशन लाल पुत्र श्री रोड्राम | KH NO.21,22   | 1340.04 SQ. METER | Private                                | VILLAGE MOHANPUR A TEHSIL SANGANER Sector/Block- | Change in Land Use (Residential to Commercial) | आवेदक श्री वीरेन्द्र सिंह सुण्डा पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह द्वारा ग्राम मोहनपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 21 व 22 का आवासीय से मिश्रित भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। आवेदित खसरा नम्बर का लीजहोल्ड पट्टा दिनांक 03.01.2022 के द्वारा श्री किशन लाल पुत्र श्री रोड्राम के पक्ष में जारी किया गया था। पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से आवेदित खसरा नम्बर के क्षेत्रफल 1340.04 वर्गमीटर का नाम हस्तान्तरण दिनांक 25.07.2025 को आवेदक श्री वीरेन्द्र सिंह सुण्डा पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह के पक्ष में जारी किया गया है। |



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Change in Land Use (Residential to Commercial) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 15 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Virendra Singh Sunda S/o Laxman Singh को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से दो समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का दो राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमे प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय मे प्रस्तुत ना करें |